

16/12/24

अधिवक्ता अपीलान्त अनुठ (अधिवक्ता अपीलान्त
व अपीलान्त को प्रकरण में फेरवी हेतु
कंक-कंक आवाज लगवाई गयी। वायपूद
व्यायालय के समक्ष उपर नही हुए। इसके
अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा शेषी०
संख्या 1 से पके सम्मन ललभना पेश करने
की कोई कार्यवाही नही की है। उक्त परिदृश्य
में उक्त अपील अयम हाजरी / अयम फेरवी
व अयम तक्राल में ध्याज की जाती है।
पत्रालयी वसी मुताबिक निरिंत की जात
सख्या से एक कग होत दायिल दफतल हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी

पाली